

आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद, बागेश्वर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र, कपकोट में दुणी-मुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है० की रकमी 8.680 है० भूमि, जो ग्राम बरियाकोट राजपूत उपनिरीक्षक क्षेत्र, बरियाकोट, तहसील, कपकोट के गैर ज० चि० खतोनी धेणी 9(3) प (1) के इमारती नकदी के वन के छाता संख्या -110 खेत नम्बर 4129 मध्ये रकमा 0.480 है० खेत नम्बर 4130 मध्ये रकमा 0.500 है०, खेत संख्या-4131 मध्ये रकमा 0.500 है०, खेत संख्या-4135 मध्ये 2.000 है०, 4136 मध्ये 2.000 है०, 4137 मध्ये 1.200 है० एवं 4138 मध्ये 2.000 कुल 8.680 है० शासनादेश संख्या- 2173/2012-18 (120)/ 2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या- 08 बी / यू०सी०पी०/ 06 / 146/ 2020/ एफ०सी०/ 2481 दिनांक 17/03/2021 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

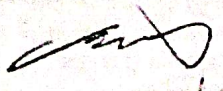
संख्या 2162/छब्बीस-02 वन/2020-21 दिनांक 06/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर,
2. उपजिलाधिकारी, कपकोट,
3. अधिष्ठाता अभियंता, खण्ड लोक निर्माण, बागेश्वर,
4. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतोनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

स्त० ३४-III / वन भू मि० १६८०


06/7

Digitally signed by VINEET
KUMAR

Date: Tue Jul 06 11:35:22 IST

Reason: Approved